भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3732
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर

3732. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में प्रारम्भ किए गए जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर की प्रगति कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह के क्लस्टर शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ग) मछुआरों को इसमें शामिल करने के लिए पीएम- किसान योजना के विस्तार की स्थिति क्या है और आज की तिथि तक इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मत्स्यपालन प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, PMMSY के अंतर्गत जैविक मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास हेतु सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मात्स्यिकी क्लस्टर अधिसूचित किए हैं। जैविक मात्स्यिकी क्लस्टर के उद्देश्यों को संरेखित करने के लिए विशेषज्ञों, अधिकारियों और किसानों को शामिल करते हुए विभिन्न परामर्श बैठकें और हितधारक परामर्श आयोजित किए गए थे । जैविक जलकृषि प्रथाओं के प्रभावी संवर्धन के लिए बाधाओं और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत गैप विश्लेषण अध्ययन किया गया था। जैविक मात्स्यिकी क्लस्टर के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है और जिले में इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित पहल शुरू की गई हैं। MGNREGA के साथ अभिसरण के माध्यम से मत्स्य टैंकों का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है। जैविक मात्स्यिकी क्लस्टर के व्यवस्थित विकास और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, एक व्यापक तीन-वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में राज्य में एक अनुकरणीय और आत्मनिर्भर जैविक जलकृषि मॉडल स्थापित करने के लिए क्षमता निर्माण, इनपुट समर्थन, प्रमाणन, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और बाजार संपर्क के क्षेत्रों में पहल शामिल हैं।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ, मात्स्यिकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, बड़े स्तर की अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय उत्पन्न करने, विकास में तेजी लाने और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में संगठित तरीके से मात्स्यिकी और जलकृषि के विस्तार के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का प्रावधान किया गया है। मात्स्यिकी के स्थाई विकास के प्रयासों को जारी रखने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और आजीविका में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों को अधिसूचित किया है। ये क्लस्टर सजावटी मात्स्यिकी, समुद्री शैवाल कृषि, पर्ल फारमिंग, खारे जल की जलकृषि, जलाशय मत्स्यपालन, आर्द्रभूमि मत्स्यपालन, कोल्ड वाटर फिशरीज़, ड्राई फिश क्लस्टर, इंटीग्रेटेड ट्यूना फारमिंग और टूना फिशिंग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि पीएम-किसान योजना का विस्तार मछुआरों तक करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया है कि जिन मछुआरों और मत्स्य किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है, वे दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं और पीएम-किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

*****